



2026:AHC:50064

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9110 वर्ष 2026

दीपक द्विवेदी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: विकास कुमार उपाध्याय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: आज़ाद राय,सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील मेजा, जिला प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाए कि वे यू.पी. जेड.ए.& एलआर.अधिनियम की धारा 176 के तहत, केस संख्या 86 (2002 से 2007) (शिवरक्षा बनाम रामरक्षा एवं अन्य) से संबंधित बहाली केस संख्या आर एस टी/01855/2018 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या टी201802030801855) का निर्णय निर्धारित समय-सीमा के भीतर करें।
4. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और इस मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस रिट याचिका का **अंतिम रूप से निपटारा** किया जाता है। इसके साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2, यानी उपजिलाधिकारी, तहसील मेजा, जिला प्रयागराज, को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त आवेदन पर कानून के अनुसार, शीघ्रता से-और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से **तीन महीने** की अवधि के भीतर निर्णय लें, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय,)

11 मार्च, 2026

स्वाति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।